14/3/2022 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र 212 CPC अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पिपली प०ह० ओछड़ी तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी नम्बर 489 490 491 492 कीता 4 कुल रकबा 1.97 हे० भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी होकर प्रार्थीगण 1 से 4 एवं उनके पिता व दादा चौसा भील का बराबर-बराबर 1/5 का हिस्सा बनता है। ... भूमि पुश्तैनी ...

2020/00285

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	होने से प्रार्थीगण को रहन बेचान बख्शीश या खुर्द-बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा बदस्तूर है। विपक्षी संख्या 1 ने चौसा भील की अज्ञानता एवं अनपढ़ होने का फायदा उठाकर गलत व झूठे प्रपत्र रचते हुए बिना प्रतिफल दिए हुए उक्त भूमि रेवेन्यु रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवायी जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। विपक्षी सं. 2 [illegible] द्वारा उक्त लड़ाई-झगड़ा करने का अंदेशा रहता है, तथा विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि [illegible] नाम पर दर्ज होने से कभी भी किसी अन्य को रहन बेचान बख्शीश कर सकते हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जेर बहस आराजीयात को रहन बेचान बख्शीश से किसी अन्य को न करे एवं न करावे।
	अधिवक्ता विपक्षीगण ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जेर बहस आराजीयात विपक्षी संख्या 1 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी ने उक्त आराजीयात जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमशः दिनांक 25/5/1995 एवं 06/5/1998 से [illegible] कब्जा प्राप्त किया है तब से प्रा[illegible] कब्जा धारी होकर अपनी [illegible] भूमि का उपयोग उपभोग कर [illegible] का जेर बहस आराजीयात बाबत कोई कास्त हक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण
	...... लगातार
	(श्याम सुन्दर विश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam S[illegible]
Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:23:39 [illegible]
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करावें। हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर चिन्तन-मनन किया। और बहस आराजीयात वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा निहित भी हो तो भी मूल वाद पत्र में पूर्ण सुनवाई उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.04.19 10:23:39 IST
Reason: SelfAttested